

19.01.24

पत्रावली पेश हूरी कोई उपस्थित नहीं मारा है। पत्रावली
अदम पैरवी अदम हाजरी में इसी त्वर १२ खारिज की जाती
है। पत्रावली कैबल शुमार बाद तत्पश्चात् ताकभील करिख
पपतर हो

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)